पत्रांक :– 18 / विविध–03 / 2023 795 /

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक ,

शशि प्रकाश सिंह, भा.प्र.से.,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी उपायुक्त –सह– अध्यक्ष,
जिला शिक्षा स्थापना समिति,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 22/ 6 / 24

विषय :– **Teacher Transfer Portal** के माध्यम से शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए प्राप्त आवेदन में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण के संबंध में।

प्रसंग :–

1. विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 06.08.2019 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 1556 दिनांक 08.06.2022
2. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापांक 961 दिनांक 23.03.2023
3. दिनांक 06.07.2023 को सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की कार्यवाही ज्ञापांक 1607 दिनांक 10.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि Teacher Transfer Portal के माध्यम से जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित आवेदकों / शिक्षकों की सूची का निदेशालय स्तर पर स्क्रूटनी के क्रम में निम्न् विसंगतियां पाई गई हैं –

1. **Spouse working with Government** – विभागीय संकल्प में पति–पत्नी राज्य अथवा केन्द्र सरकार या उसके उपक्रम में सरकारी सेवक होने के स्थिति में अन्तर जिला स्थानान्तरण का प्रावधान किया गया है। पोर्टल के माध्यम से आवेदन के क्रम में आवेदक शिक्षक / शिक्षिका द्वारा अपने पति अथवा पत्नी के सरकारी सेवक का सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र में आई–कार्ड अथवा अधूरा नियुक्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है जिससे उनका पदस्थापन जिला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है फलस्वरूप इन मामलों में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है।
2. **Incurable disease** – असाध्य रोग के आवेदक शिक्षक / शिक्षिका के मामले में उपायुक्त स्तर से गठित मेडिकल बोर्ड का स्पष्ट अनुशंसा प्रतिवेदन अपलोड किया जाना था लेकिन अधिकांश मामलों में मेडिकल बोर्ड का प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है। कुछ मामलों

में आवेदक शिक्षक शिक्षिका द्वारा अपने रिस्तेदारों का मेडिकल रिपोर्ट अपलोड किया गया है जबकि असाध्य रोग के मामले में आवेदक शिक्षक / शिक्षिका के स्वयं का मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट अनुमान्य है।

3. विशेष परिस्थिति की महिला यथा तलाकशुदा महिला / सैन्य कर्मी की विधवा महिला / एकल महिला / विधवा महिला / अविवाहित महिला इत्यादि के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापांक 961 दिनांक 23.03.2023 में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का उल्लेख किया गया है लेकिन मात्र विधवा महिला के मामले में मृत्यु प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है शेष मामलों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है।
4. विकलांग श्रेणी में 40 प्रतिशत से न्यून प्रतिशत वाले आवेदकों का आवेदन भी जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अग्रसारित की गई है।
5. कई मामलों में स्पष्ट कारण / प्रतिवेदन नहीं होने के बाद भी जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा प्रस्ताव राज्य स्थापना समिति को स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन अग्रसारित किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा स्थानान्तरण के लिए प्राप्त आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं होने के बावजूद भी प्रथम दृष्टव्या विभागीय प्रावधान के आलोक में स्थानान्तरण हेतु अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर राज्य स्थापना समिति के विचारार्थ अग्रसारित किया गया है। यह अत्यंत ही चिन्ताजनक है।

Teacher Transfer Portal के माध्यम से चिन्हित आवेदकों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सीधे उनके लॉगिन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अन्य विशेष परिस्थिति में अग्रसारित आवेदनों को अलग अलग श्रेणी में आवेदन करने हेतु निम्न रूपेण विभाजित किया गया है :–

पोटल में पूर्व विकल्प	पोर्टल में नया विकल्प
Others - disabled, women, etc. in special circumstances	• disabled • women • special circumstances

Teacher Transfer Portal के माध्यम से प्राप्त त्रुटिपूर्ण आवेदन में त्रुटि के निराकरण एवं आवश्यक दस्जावेज अपलोड करने के निमित्त निम्न समय सारिणी निर्धारित की जा रही है :–

1	आवेदन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की तिथि	दिनांक 28.06.2024 से 07.07.2024 तक
2	जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा आवेदन की जांच	दिनांक 08.07.2024 से 10.07.2024 तक
3	जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक का आयोजन एवं आवेदनों का ऑनलाईन अग्रसारण	दिनांक 11.07.2024 से 14.07.2024 तक

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि असाध्य रोग / विकलांग के मामले में सिविल सर्जन को मेडिकल बोर्ड की बैठक आहूत कर इन सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का स्पष्ट प्रतिवेदन / विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निदेशित किया जाए एवं इसका प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि आवेदक शिक्षक शिक्षिका

मेडिकल बोर्ड की बैठक में भाग ले सके। साथ ही उपर्युक्त समय–सीमा के अन्दर अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

S Singh 22/6/24

(शशि प्रकाश सिंह)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक ....1156......../ चाईबासा, दिनांक ..22-06-2024

प्रतिलिपि : जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/06/24

जिला शिक्षा अधीक्षक

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

22/6/24